



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा भित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 166/2025

1. सुभाषचन्द्र पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी गोलुवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा।
2. श्योप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद पीलीबंग जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
2. अधिक्षण अभियन्ता सुरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन प्रथम खंड (इ.गा.न.प.) सुरतगढ़।
3. अधिशाषी अभियन्ता सुरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन प्रथम खंड सुरतगढ़।

—प्रतिवादीगण —

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

**डिक्री**

दिनांक :- 27/10/2025

वादी की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा भित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण तहसीलदार रिपोर्ट एवं जल संसाधन विभाग के जवाब के आधार पर स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है—

1. वादी संख्या 1 सुभाषचन्द्र चक 1 लाख आर.डी. के प.न. 31/350 (23) किला न. 1/3/.026, 2/2/.025, 3/2/.025, 4/2/.025, 5/2/.026 के उत्तर दिशा कुल 0.127 हैक्. भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. वादी संख्या 2 श्योप्रकाश चक 1 लाख आर.डी. के प.न. 32/350 (24) कि.न. 1/2/0.025, 2/2/0.025, 3/2/0.025, 4/2/.025, 5/3/0.026 कुल 0.126 है. भुमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा भित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा